

(भारत के

राजपत्र के भाग (II), खण्ड 3, उपखंड (I) में प्रकाशनार्थ)

संख्या - 31011/10/2000-स्थापना (क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी || , 2002

अधिसूचना

सा.का.नि. ~~(क)~~ संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी-यात्रा-रियायत) नियम, 1988 में आगे और संशोधन करने के प्रयोजन से एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी-यात्रा-रियायत) संशोधन नियम, 2002 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (यात्रा-छुट्टी-रियायत) नियम, 1988 के नियम 4, खण्ड (घ) के उपखण्ड (II) में "पतियों", शब्दों के बाद "और विधवा पुत्रियाँ", शब्द जोड़ दिए जाएँ।

वि. उ. पिल्लै

(वी.ए. पिल्लै)

भारत सरकार के अवर सचिव

{संख्या 31011/10/2000-स्थापना (क)}

पाद टिप्पणी :

मूल नियम, दिनांक 03.05.1988 के क्रानूनी आदेश संख्या 1525 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

1. दिनांक 20.10.1997 की अधिसूचना संख्या 31011/7/97-स्थापना (क) { दिनांक 20.10.1997 का सा.का.नि. संख्या 602 (अ) }

.....2/-

2. दिनांक 28.07.1998 की अधिसूचना संख्या 31011/7/97-स्थापना (क)
(दिनांक 29.07.1998 का सा.का.नि. सं. 412 (अ))

बि. ए. पिल्लै

(वी.ए. पिल्लै)

भारत-सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली ।

संख्या 31011/10/2000-स्थापना - (क)

दिनांक जनवरी , 2002

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
 2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
 3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
 4. केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, नई दिल्ली ।
 5. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, नई दिल्ली ।
 6. लोक-सभा/राज्य-सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
 7. सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासन ।
 8. गृह-मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
 9. गृह-मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
- 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।